सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025/709 दर्ज तिथिः–26.09.2025

1. नानजी पुत्र धूड़ा
   जाति रबारी निवासी बांकलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा।

.............प्रार्थी

बनाम

1. सांवलाराम पुत्र जवाराराम
2. हीराराम पुत्र जवाराराम
3. राजो पत्नी जवारा पिता भीखा
   जाति रबारी निवासी बांकलपुरा जिला बालोतरा।
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

..............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री जगदीश कड़वासरा
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–30.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 117/2 /3.8850 है0 मौजा बांकलपुरा पटवार मण्डल भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।
   - कि मूल खसरा संख्या 117 रकबा 77–09 बीघा के खातेदारा नानजी पुत्र धुड़ा व जवारा वगैरा के आपसी बेचान होने से नामान्तरण संख्या 339 की पुश्त पर खसरा संख्या 117/2 रकबा 20–00 बीघा सृजित किया गया।
   - कि उक्त नामान्तरण के आधार पर लट्ठा ट्रेस में नक्शें की तरमीम मौके से भिन्न कर दी गई। वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा काश्त रकबा 20–00 बीघा पर शुरू से चला आ रहा है। लट्ठा ट्रेस व भूनक्शा में तरमीम गलत अंकित

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

कर दी। जिससे मौके व राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता उत्पन्न हो गई है। उक्त गलत तरमीम को प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए. /2025/1923 दिनांक 19.01.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—ब प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—ब का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

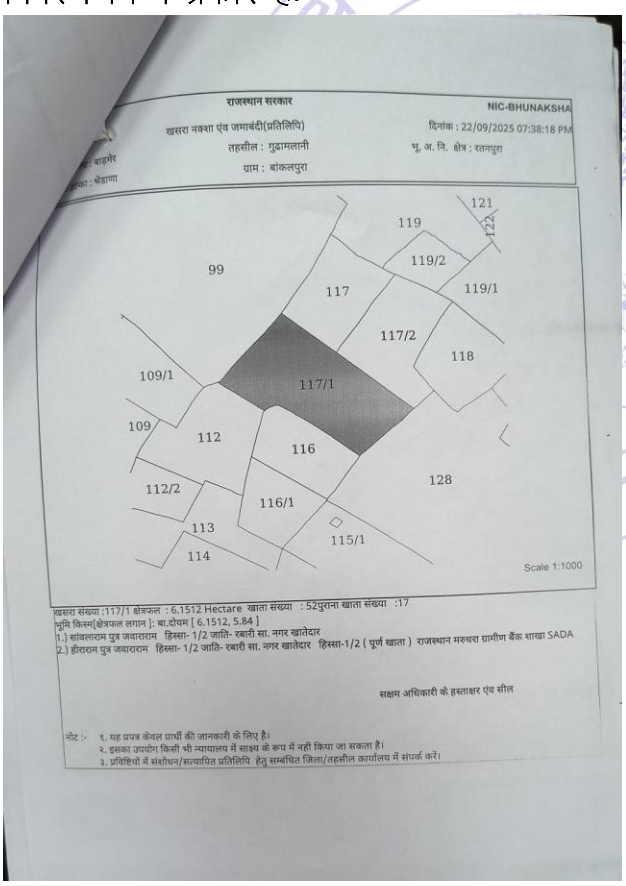

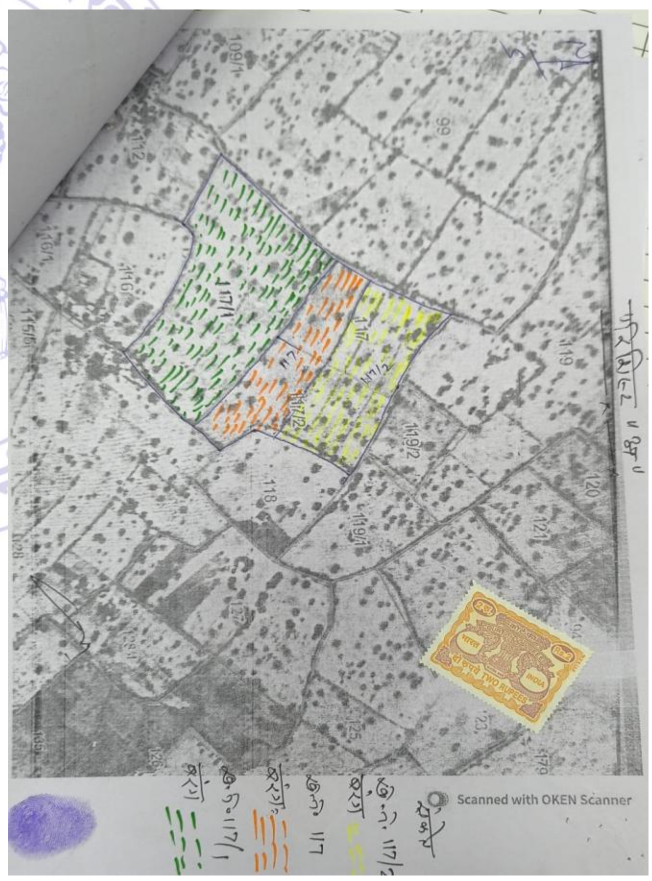

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1923 दिनांक 19.01. 2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

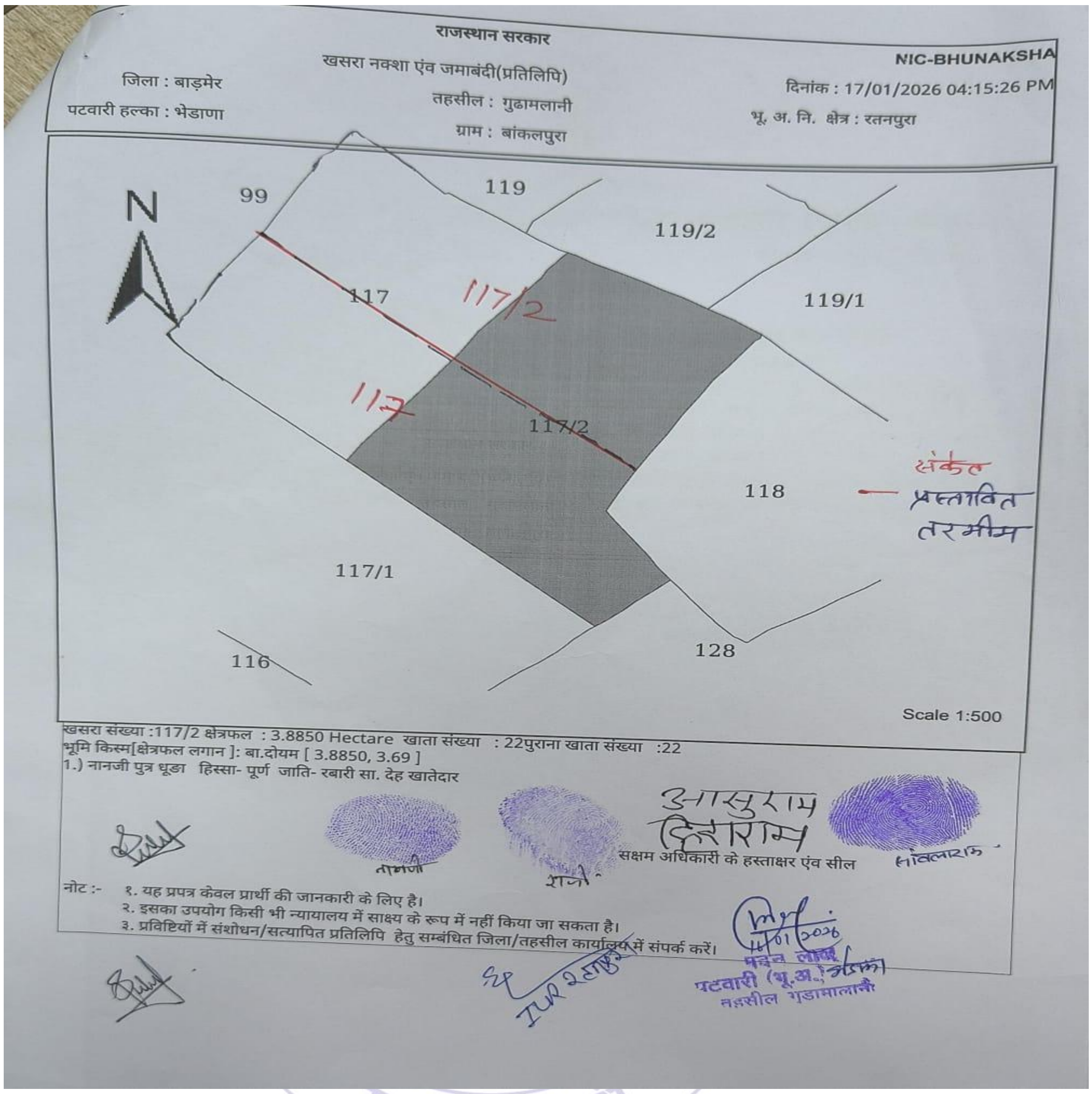

7. प्रकरण में प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / आर.ए. / 2025 / 1923 दिनांक 19.01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का उद्धरण इस प्रकार हैः—

1. *प्रार्थी की आराजी खसरा सख्या 117 / 2 रकबा 3.8850 है0 मौजा बांकलपुरा में नामान्तरण संख्या 307 की पुश्त पर मूल खसरे का विभाजन के अंकन के अनुसार वर्तमान में राजस्व नक्शा में तितम्मा अंकित नहीं किया गया है। नामान्तरण संख्या 307 की पुष्ट पर अंकित विभाजन दिशा अनुसार सही अंकित नहीं है।*
2. *प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 117 / 2 रकबा 3.8850 है0 मौजा बांकलपुरा में नामान्तरण संख्या 307 की पुश्त पर मूल खसरे का विभाजन के अंकन के अनुसार वर्तमान में कब्जा काश्त नहीं है।*
3. *आराजी खसरा संख्या 117 / 2 रकबा 3.8850 है0 मौजा बांकलपुरा में प्रार्थी के वास्तविक कब्जा काश्त की जांच में पाया गया कि वर्तमान कब्जा व तरमीम विपरीत है। अतः नक्शे के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1923 दिनांक 19.01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1923 दिनांक 19.01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1923 दिनांक 19.01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/आर.ए./2025/1923 दिनांक 19.01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते
गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested